भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1662
दिनांक 04.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन

1662 # श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना के अंतर्गत मिल रही शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि जिन गांवों में पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है, उनमें से कई गांवों में नलों में पानी नहीं आ रहा है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। मिशन के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अगस्त 2019 में केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी, जबकि 30.07.2025 तक 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.96%) से अधिक परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल राज्य का विषय है और इसलिए, ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, शिकायतें/सवालों आदि जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल जीवन मिशन के अंतर्गत भ्रष्टाचार, घटिया कार्य आदि शामिल हैं, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निपटाए जाते हैं। जब कभी

इस विभाग में ऐसी शिकायतें/सवाल प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मानक सांख्यिकीय नमूने के आधार पर, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से, मिशन के तहत प्रदान किए गए पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता का वार्षिक मूल्यांकन कराता है। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 के दौरान, यह पाया गया कि 86% परिवारों (एचएच) के पास कार्यशील नल कनेक्शन थे। इनमें से 85% परिवारों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो रहा था, 80% परिवारों को उनकी पाइपगत जल आपूर्ति स्कीम की जलापूर्ति अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से जल प्राप्त हो रहा था और 87% परिवारों को निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल प्राप्त हो रहा था। कार्यशीलता मूल्यांकन 2022 की एक प्रति पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports लिंक पर देखा जा सकता है।

(ग): जेजेएम के अंतर्गत, सरकार ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुमोदित की है जिसका लगभग उपयोग हो चुका है। मिशन के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	बीई/आरई के अनुसार आवंटन	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि	वास्तविक व्यय
2019-2020	10,000.66	9,951.81	10,000.44
2020-2021	11,000.00	10,917.86	10,999.94
2021-2022	45,011.00	40,009.77	40,125.64
2022-2023	55,000.00	54,742.30	54,839.79
2023-2024	70,000.00	69,885.01	69,992.37
2024-2025	22,694.00#	22,540.22	22,638.44

#कुल उपयोग 2,08,652 करोड़ रुपये के अनुमोदित केंद्रीय परिव्यय तक सीमित

*****